	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साअधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	आषाढ 16, गुरूवार, शाके 1944- जुलाई 07, 2022 Asadha 16 Thursday, Saka 1944- July 07, 2022	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें ।

सांख्यिकी विभाग

परिपत्र

जयपुर, जुलाई 7, 2022

संख्या प.5(64)सीओआई/सम/डीईएस:- कोविड-19 महामारी के कारण भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, नई दिल्ली के निर्देशानुसार राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ.5(64)सीओआई/सम/डीईएस/ 2019/पार्ट-1/1662 दिनांक 10.08.2020 की निरन्तरता में राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ.5(64)सीओआई/सम/डीईएस/ 2019/पार्ट-1/2229 दिनांक 30.12.2021 द्वारा राज्य की प्रशासनिक इकाईयों के स्थिरीकरण की समय सीमा को 31 दिसम्बर, 2021 से बढाकर 30 जून, 2022 कर दी गई थी।

कोविड-19 महामारी के कारण मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुये महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त पत्र के दिशा-निर्देशों के क्रम में राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि समस्त जिलों, तहसीलों, कस्बों एवं ग्रामों के प्रशासनिक इकाईयों स्थिरीकरण की समय सीमा पुन: 30 जून, 2022 से बढाकर 31 दिसम्बर, 2022 की जाती है ।

राज्यपाल की आज्ञा से,
उषा शर्मा,
मुख्य सचिव ।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर ।